न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –23/2024 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2024/209

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस सेन्टर गुमानपुरा पुलिया के पास कोटा ।
2. श्री सोनू मीणा पुत्र मोरपाल मीणा निवासी मकाननं0 617 केशवपुरा, कोटा

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 06 व्यावसायिक व 58 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 **kg Capicity**) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

1 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 07.10.2024 के अनुसरण में जांच दल प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 05.12.2024 को घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम में कोटा शहर में गुमानपुरा पुलिया के पास स्थित न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस सेन्टर, कोटा मौके पर पहुंचे । मोके पर श्री सोनू मीणा पुत्र मोरपाल मीणा निवासी मकान नं0 617 केशवपुरा, कोटा उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच कार्य सम्पादित किया गया । परिसर का अवलोकन करने पर 06 व्यावसायिक तथा 10 घरेलू लाल रंग के गैस सिलेण्डर एवं एक इलेक्ट्रोनिक मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन रखी पाई गयी जिससे छोटे गैस सिलेण्डर में गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था । कारोबार स्थल के बाहर ही लाल रंग पिकअप नं0 आर जे 20 जीसी 2154 रखी पायी गई जिसमें 48 लाल रंग के 14.2 किग्रा क्षमता के घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जो कि न्यू सूर्या एजेन्सी फर्म के परिसर में खाली करवाने लाये गये थे । उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में पूछताछ करने पर श्री सोनू मीणा द्वारा अवगत कराया किया कि उनके द्वारा किराये की दुकान (न्यू सूर्या एजेन्सी) में घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में रिफलिंग का कार्य किया जाता है एवं सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये । मौके पर पाई स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाता है । इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर 06 व्यावसायिक तथा 58 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र है । जब्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क. सं.	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्रा में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	097070	HPCL	14.2	15.5	20.5	5.0	घरेलु
2	074205	BPCL	14.2	16.1	18.8	27.0	घरेलु
3	612753	IOCL	14.2	15.3	15.3	0	घरेलु
4	083585	HPCL	14.2	15.6	15.6	0	घरेलु
5	652077	IOCL	14.2	15.8	15.8	0	घरेलु
6	662112	BPCL	14.2	15.5	18.0	2.5	घरेलु
7	342686	HPCL	14.2	15.6	30.2	14.6	घरेलु
8	77520	HPCL	14.2	15.6	30.0	15.0	घरेलु
9	218728	HPCL	14.2	15.9	30.4	14.5	व्यावसायिक
10	951018	HPCL	14.2	15.5	30.2	14.7	व्यावसायिक
11	004494	IOCL	19.0	19.2	39.2	20.0	व्यावसायिक
12	043706	IOCL	19.0	19.2	19.2	0	व्यावसायिक
13	03577	HPCL	19.0	19.3	21.0	1.7	व्यावसायिक
14	811458	BPCL	19.0	19.3	23.3	4.0	व्यावसायिक
15	18241	BPCL	19.0	19.2	19.2	0	व्यावसायिक
16	19325	BPCL	19.0	19.3	20.0	0.7	व्यावसायिक
17	424311	HPCL	14.2	16.0	30.6	13.7	घरेलु
18	299741	HPCL	14.2	16.0	30.6	14.7	घरेलु
19	234089	HPCL	14.2	15.5	30.4	14.7	घरेलु
20	141526	HPCL	14.2	15.8	28.5	14.7	घरेलु
21	187366	HPCL	14.2	16.0	30.6	14.7	घरेलु
22	211266	HPCL	14.2	16.1	30.6	14.7	घरेलु
23	271462	HPCL	14.2	16.3	30.1	14.7	घरेलु
24	009070	HPCL	14.2	15.5	30.1	14.6	घरेलु
25	271157	HPCL	14.2	15.7	30.5	14.3	घरेलु
26	234287	HPCL	14.2	15.5	30.3	14.4	घरेलु
27	516017	HPCL	14.2	16.5	31.2	14.0	घरेलु
28	607604	HPCL	14.2	16.9	31.2	13.8	घरेलु
29	190873	HPCL	14.2	15.5	30.5	14.1	घरेलु
30	628000	HPCL	14.2	15.6	31.2	13.0	घरेलु
31	235027	HPCL	14.2	15.7	31.2	13.8	घरेलु
32	463200	HPCL	14.2	15.9	30.5	14.4	घरेलु
33	437735	HPCL	14.2	15.6	30.4	14.6	घरेलु
34	345146	HPCL	14.2	15.7	30.1	14.8	घरेलु
35	458077	HPCL	14.2	15.7	30.5	14.8	घरेलु
36	204376	HPCL	14.2	15.3	30.2	14.6	घरेलु
37	253765	HPCL	14.2	15.9	30.1	14.5	घरेलु
38	477515	HPCL	14.2	15.5	30.3	14.9	घरेलु
39	574022	HPCL	14.2	15.6	30.4	14.4	घरेलु
40	50241	HPCL	14.2	16.3	30.0	13.7	घरेलु
41	460363	HPCL	14.2	15.8	30.5	14.7	घरेलु
42	030587	HPCL	14.2	16.2	30.9	14.7	घरेलु
43	540674	HPCL	14.2	15.8	30.2	14.4	घरेलु
44	338138	HPCL	14.2	15.7	30.4	14.7	घरेलु
45	233296	HPCL	14.2	15.7	30.4	14.7	घरेलु
46	256752	HPCL	14.2	15.7	30.4	14.7	घरेलु
47	238378	HPCL	14.2	15.3	29.9	14.6	घरेलु
48	390460	HPCL	14.2	16.0	30.3	14.3	घरेलु
49	104646	HPCL	14.2	15.8	30.2	14.4	घरेलु
50	388420	HPCL	14.2	16.3	30.3	14.0	घरेलु
51	083759	HPCL	14.2	15.4	29.2	13.8	घरेलु
52	935580	HPCL	14.2	16.0	30.1	14.1	घरेलु
53	882783	HPCL	14.2	16.6	29.6	13.0	घरेलु
54	797377	HPCL	14.2	15.5	29.3	13.8	घरेलु
55	085735	HPCL	14.2	15.8	30.2	14.4	घरेलु
56	323000	HPCL	14.2	15.8	30.4	14.6	घरेलु
57	886411	HPCL	14.2	15.4	30.2	14.8	घरेलु
58	360679	HPCL	14.2	15.5	30.3	14.8	घरेलु
59	305090	HPCL	14.2	15.8	30.4	14.6	घरेलु
60	067751	HPCL	14.2	15.7	30.2	14.5	घरेलु
61	032526	HPCL	14.2	15.9	30.8	14.9	घरेलु
62	380016	HPCL	14.2	16.0	30.4	14.4	घरेलु
63	440749	HPCL	14.2	16.1	30.3	14.2	घरेलु

64	701824	HPCL	14.2	15.5	30.4	14.9	घरेलू
01 Electronic weight Machin 199 kg. Capicity							
01 Gas Reflling moter + Machine							

इस प्रकार फर्म न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस सेन्टर गुमानपुरा पुलिया, कोटा, सोनू मीणा पुत्र मोरपाल मीणा निवासी केशवपुरा के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । अतः उक्त 06 व्यावसायिक तथा 58 घरेलू गैस सिलेण्डरों व एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को जब्त कर मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगी नामा बनाकर हाड़ोती गैस एजेन्सी गुमानपुरा कोटा के प्रतिनिधि (कम्प्यूटर ऑपरेटर) श्री अनूप मेहरा पुत्र श्री शंकरलाल मेहरा निवासी ब्रहमपुरी रामपुरा कोटा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 06 व्यावयायिक एवं 58 घरेलु गैस सिलेण्डरों व एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2 प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर निष्पादन हेतु थानाधिकारी गुमानपुरा कोटा को निष्पादन हेतु भिजवाया गया । नोटिस इस आशय की तामिल रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है कि मं0नं0 617 केशवपुरा सेक्टर 4 पर मकान मालिक शम्भूसिंह आत्मज देवीसिंह ने बताया की सोनू मीणा नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है तथा मोबाईल भी बंद होना बताया है तथा गुमानपुरा पुलिया के पास न्यू सूर्या एजेन्सी के बारे में पूछने पर कुछ पता नहीं चलना बताया है । इस प्रकार अप्रार्थी फर्म एवं अप्रार्थी का कोई पता नहीं से नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए है । ऐसी स्थिति में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार रसद को सुना गया ।

3 पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी से 06 व्यावसायिक व 58 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन जब्त किये गये है उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से मौके पर ही जब्त किये गये है । अतः उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात कराना फरमावें ।

4 हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी की फर्म न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस सेन्टर गुमानपुरा से 06 व्यावसायिक व 58 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन जब्त किये गये है । उक्त गैस सिलेण्डरों व गैस रिफलिंग जुगाड से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में जुगाड के माध्यम से गैस रिफलिंग की जाकर उच्च कीमतों पर बाजार में विक्रय किया जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी का यह अपराध प्रमाणित पाया गया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

5 परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 06 व्यावसायिक व 58 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक इलेक्ट्रोनिक वेट मशीन (100 kg Capicity) तथा एक गैस रिफलिंग मशीन जब्त को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों को निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

6 निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा